न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 42/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2024/46

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवानसिंह राजपूत पिता श्री झालमसिंह राजपूत मैसर्स मातेश्वरी सुपर स्टोर उदयपुर रोड मावली। स्थाई पता महुडा तह.मावली
2. श्री दीपक चुक पिता प्रताप चुग स्थाई पता 2 बी न्यु शक्ति नगर, उदयपुर मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग 136 कृषि मण्डी उदयपुर मो.न. 9928900339
3. श्री सत्यपाल चौधरी (नोमिनी) कान्हा इंडस्ट्रीज लिमिटेड पता S 210, opp. NBC KHATIPURA Road shanti nagar Jaipur mo 9214024558 e mail kanhaindltd@gmail.com
4. निर्माता फर्म कान्हा इंडस्ट्रीज लिमिटेट पता 126 Auodhya nagar ujhani budaun UP 243639 izkf/kd`r ifjlj dk irk& Plot No. A-240, Godan -B Road No 6, VKI Jaipur Rajasthan 302013 ph no 05644-221448 email kanhaindltd@gmail.com

—विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री भगवतीलाल जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1।
3. श्री रजत मेहता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3, 4 ।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 30.09.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक नोटिफिकेशन/2023/ दिनांक 14.03.2023 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 05.11.2023 को 4.10 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स मातेश्वरी सुपर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला म...
उदयपुर (राज.)

स्टोर उदयपुर रोड मावली उदयपुर पर पहूँचा, वहाँ विपक्षी श्री भगवानसिंह राजपूत उपस्थित मिल गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स मातेश्वरी सुपर स्टोर उदयपुर रोड मावली उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता विभीन्न खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय करने का कार्य करते है। यहां सुपर मार्ट में Kacchi Ghani Mustard Oil (Upasana) की 1 लीटर की 30 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी। उक्त बोतल के लेबल पर B.No. Uspi Pkd 09-06-2023 Use by 08-06-2024 अंकित पाया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से Kacchi Ghani Mustard Oil (Upasana) की 1 लीटर वाली 4 बोतल मूल ही कंपनी पैक, सीलबंद स्थिति में वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा Kacchi Ghani Mustard Oil (Upasana) पैकेट की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 480 रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा Kacchi Ghani Mustard Oil (Upasana) पैकेट पर विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–2500 का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/10462 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/935/एक्ट/2023/935 दिनांक 10.11.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गई, क्योंकि Saponification Value 168-177 होना चाहिए था, कि जगह 181-18 पाया गया एवं Test For Rice Bran Oil Should be Negative होना चाहिए था, कि जगह Present पाया गया । अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

/2023/10463 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/3706 दिनांक 19.06.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/ क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका टर्नऑवर 12 लाख रूपये वार्षिक से कम है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी मय अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब पेश किया। आरोपी सख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ बिल से आरोपी संख्या 2 से कय किया गया है। निर्माता द्वारा खाद्य पदार्थ की गारण्टी दी गई हैं जो कि अधिनियम के प्रावधान 26(4) के अन्तर्गत आते है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा नमुना सील पैक्ड खरीद किया गया उसे उसी सील पैक्ड के रूप में बेचान करने के लिये दुकान पर रखा गया यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 80(2)(d)(i) सपठित धारा 80(2)(a)(i) का अवलोकन किया जावे तब भी यह सुस्थापित है कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा जिस रूप में माल खरीद किया गया है यदि उसी रूप में बेचान किया जाता है तो ऐसी अवस्था में पैक सुधा माल खरीद कर बेचान का व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में नमुना अभियुक्त संख्या 4 द्वारा निर्मित किया गया है तथा लेबल पर अभियुक्त संख्या 4 द्वारा जानकारी दी गई है। ना कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा इसलिये भी माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अभियुक्त संख्या 1 जो की गांव में छोटा सा लघु व्यवसायी है को प्रस्तुत प्रकरण से अन्तर्गत धारा 80(2)(d)(i) सपठित धारा 80(2)(a)(i) का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता आरोपी संख्या 3 व 4 द्वारा जवाब पेश कर प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के साथ हलफनामा पेश नहीं किया है। विपक्षी संख्या 1 से सैम्पल दिनांक 05.11.2023 को लेना बताया मौके पर फार्म V(A) तैयार करना बताया है जिसमें अभियुक्त सख्या 4 की जानकारी अंकित की गयी। जानकारी अंकित करने का आधार लेबल पर दी गई जानकारी थी परन्तु उसके द्वारा धारा 47(1) के प्रावधानों के विपरित जाकर अभियुक्त संख्या 4 को फार्म V(A) की प्रतिलिपि नहीं दी गयी। जिस कारण से अभियुक्त संख्या 3 व 4 का मूल अधिकार चतुर्थ नमूने की जांच अंतर्गत नियम 2.4.5.1 नियम 2011 का हनन हुआ है। जिसके तहत चतुर्थ को

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

NABL प्रयोगशाला से जांच कराने का हक खाद्य कारोबारकर्ता को प्राप्त है। इस कारण से भी प्रस्तुत परिवाद अभियुक्त सख्या 3 व 4 के अधिकारों का उल्लंघन कर पेश किया गया है, जो कि खारिज होने योग्य है। मौका फर्द रिपोर्ट एक प्रिंटेड फार्म के उपर तैयार की गई है, जिसमें उसके द्वारा खाली स्थानों को भरा गया है मौका फर्द रिपोर्ट में आवेदक द्वारा केवल नमूने से संबंधित जानकारी और अभियुक्त संख्या 1 की जानकारी ही लिखी गई थी। नमूना लेने की वास्तविक प्रकिया और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण मौके फर्द रिपोर्ट में दर्ज नहीं किए गए है, जिससे नमूना लेने की प्रकिया पर प्रश्न खडे करता है। अभियुक्त संख्या 3 व 4 को फार्म V(A) की प्रतिलिपि नहीं देने का कोई कारण भी नहीं बताया। फार्म V(A) की प्रति नहीं मिलने से अभियुक्त के मूल अधिकार अन्तर्गत अधिनियम 2.4.1.5.1 का उल्लंघन होना प्रमाणित हैं जिसके तहत जवाबी अभियुक्त के पास अधिकार है कि वो फार्म V(A) की प्रति प्राप्त होने पर आवेदक चौथे भाग के नमुने की जांच करा सकता है। परन्तु आवेदन द्वारा प्रति नहीं देने पर वह अपने अधिकार से वंचित हो गया है। इसलिये परिवाद खारिज योग्य है। अभिहित अधिकारी द्वारा बिना तथ्यों का अवलोकन किए तथा मेकेनिकल तरीके से अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है, जिस कारण से भी प्रस्तुत प्रकरण खारिज होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जवाब को पत्रावली पर लिया जाकर वर्तमान परिवाद को निरस्त कर अभियुक्त संख्या 3 व 4 को उक्त परिवाद से मुक्ति प्रदान करे।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय करने से भारी से भारी जुर्माना से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं परिवाद से मुक्ति प्रदान करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर विक्रेता विभीन्न खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय करने का कार्य करते है। यहां सुपर मार्ट में Kacchi Ghani Mustard Oil (Upasana) की 1 लीटर की 30 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिति में आम जनता को बिकी वास्ते रखी पायी। उक्त बोतल के लेबल पर B.No. Uspi Pkd 09-06-2023 Use by 08-06-2024 अंकित पाया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से Kacchi Ghani Mustard Oil (Upasana) की 1 लीटर वाली 4 बोतल मूल ही कंपनी पैक, सीलबंद स्थिति में वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गई, **क्योंकि Saponification Value 168-177 होना चाहिए था, कि जगह 181-18 पाया गया एवं Test For Rice Bran Oil Should be Negative होना चाहिए था, कि जगह Present पाया गया।** प्रकरण मे अभियोजन पक्ष की ओर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

से की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार पाई जाती है। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त उक्त खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना स्पष्ट जाहिर हैं। प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाना प्रतीत होता है।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। विपक्षी खाद्य निर्माता कम्पनी एक जानी मानी ब्राण्ड होकर इसके पुरे भारत में वृहद स्तर पर उपभोक्ता है, जो इनके खाद्य पदार्थो का उपभोग करते है, ऐसी स्थिति में खाद्य कारोबारी कम्पनी को भी चाहिए की वह अपने खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय व उपयोग करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपीगण को संयुक्त रूप से राशि ₹ 4,00,000/ अक्षरे रूपया चार लाख मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी आरोपी जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)